भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 454

उत्तर देने की तारीख: 03.12.2025

ओबीसी में क्रीमी लेयर निर्धारित करने के लिए आय मानदंड

454. श्रीमती राजाथी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की लोकसभा की, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति द्वारा अप्रैल, 2025 में प्रस्तुत सातवें प्रतिवेदन के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्गों में क्रीमी लेयर निर्धारित करने के लिए मौजूदा आय मानदंडों में संशोधन करने की योजना है;

(ख) क्या सरकार की, उक्त सीमा में संशोधन करते समय जीवन-यापन की ग्रामीण-शहरी लागत के अंतर को ध्यान में रखने की कोई योजना रखती है;

(ग) क्या विलंब से बचने हेतु क्रीमी लेयर सीमा को प्रत्येक तीन वर्ष में महंगाई से स्वतः सूचकांकित करने पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) तमिलनाडु सहित कई राज्यों द्वारा बार-बार किए जा रहे अनुरोधों को देखते हुए, अगले संशोधन की अपेक्षित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (घ): आय सीमा में संशोधन समय-समय पर सतत आधार पर किया जाता है। नॉन-क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने का पिछला आदेश कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने 13.09.2017 को जारी किया था। इस समय ओबीसी के क्रीमी लेयर स्टेटस को निर्धारित करने के लिए आय के मापदंड में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****